न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./57/2023/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. गजेसिंह 2. श्रीमती जसवंतकंवर पत्नी स्वर्गीय गजेसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर हाल निवास जोधपुर	1. राणा कुलदीपसिंह पुत्र स्वर्गीय राणा रणवीरसिंह 2. श्रीमती चन्द्रकंवर पत्नी स्वर्गीय राणा रणवीरसिंह 3. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय स्वरूपसिंह 4. श्रीमती रसालकंवर पत्नी स्वर्गीय स्वरूपसिंह 5. हेमेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय स्वरूपसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2015 बअनवान राणा कुलदीपसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.04.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—14.09.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता/रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 ने अपीलकर्ता के विरूद्व एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया था कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की संयुक्त वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 1681 रकबा 26—12 बीघा खसरा नम्बर 1680 रकबा 01 बिस्वा के आये हुऐ है। जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या तीन से पांच का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है इसलिए वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा करवाकर भूमि को बाई मीटीस एण्ड बोण्डस अलग करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में दिनांक 05.07.2017 को एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई।

राजस्व अपील

जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 15.10.2018 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। उसके पश्चात भी अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2023 को पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 1681 रकबा 26–12 बीघा खसरा नम्बर 1680 रकबा 01 बिस्वा के आये हुऐ है। जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या तीन से पांच का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है इसलिए वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा करवाकर भूमि को बाई मीटीस एण्ड बोण्डस अलग करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में दिनांक 05.07.2017 को एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 15.10.2018 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। उसके पश्चात भी अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2023 को पारित की गई। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हस्तगत वाद को दिनांक 05.07.2017 को उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 15.10.2018 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। उसके पश्चात अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2023 को पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण कर उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई वह विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं, तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने उभयपक्षकारान को जरिये नोटिस से सूचना देकर मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अपीलांटस की मंशा बंटवारा करने नहीं देना तथा अनावश्क अवरोध पैदा करना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि रेस्पोंडेंटस/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हस्तगत वाद को दिनांक 05.07.2017 को उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 15.10.2018 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। उसके पश्चात अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2023 को पारित की गई। हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.2018 के निर्देशों की पालना में मातहत अदालत ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर देते हुए संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार का उजर नहीं करने से स्पष्ट होता है कि अपीलांट को हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर की गई आपति पर सुनवाई कर आपति निस्तारण किया गया। अंतिमत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 04.04.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटस द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपति करते हुए हाजा न्यायालय में भी आवेदन पेश किया गया जिसका भी विधि सम्मत निस्तारण पूर्व में किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2015 बअनवान राणा कुलदीपसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.04.2023 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिपाल पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 14.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर